



عزت آف نیش کمار
وزیر اعلیٰ



عزت آف خورشید عرف فیروز احمد
وزیر محکمہ اقلیتی فلاح



श्री नीतीश कुमार
माननीय मुख्यमंत्री



बिहार सरकार



श्री खुशीद उर्फ फिरोज अहमद
अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री

اقلیتی مسلم ترک شدہ اطلاق شدہ
خواتین کے لئے امدادی منصوبہ

گائیڈ لائن



محکمہ اقلیتی فلاح

بلاک نمبر ۴، پہلی منزل، پرانہ سکریٹریٹ، بہار
پٹنہ - ۸۰۰۰۱۵

Website : www.minoritywelfare.bih.nic, Toll Free No. : 18003456123

अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा
महिलाओं हेतु सहायता योजना

मार्गनिर्देशिका



अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

ब्लॉक नं० 4, प्रथम तल, पुराना सचिवालय, बिहार
पटना - 800 015

Website : www.minoritywelfare.bih.nic, Toll Free No. : 18003456123

**अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा
महिलाओं हेतु सहायता योजना**

मार्गनिर्देशिका

(1) अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला हेतु सहायता योजना:—

राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्म-निर्भर बनाने हेतु यह योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से संचालित की जा रही है। योजना के तहत प्रत्येक परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला को एक मुश्त 10,000/—(दस हजार) रुपया दिया जाता रहा है जिसे वित्तीय वर्ष 2017-18 से बढ़ाकर 25,000/—(पच्चीस हजार) रुपया किया गया है।

(2) परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला की परिभाषा:—

(i) मुस्लिम परित्यक्ता महिला :— ऐसी अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला जिसकी शादी पूर्व में हो चुकी हो परन्तु उनके पति द्वारा दो वर्षों या उससे अधिक अवधि से परित्याग कर दिया गया हो तथा उनके जीवन-यापन की कोई व्यवस्था उनके पति द्वारा नहीं किया जा रहा हो, अथवा पूर्ण मानसिक अपंगता के कारण पति अपने परिवार का भरण-पोषण करने में अक्षम हो, ऐसी महिला को योजनान्तर्गत परित्यक्ता महिला समझा जाएगा।

(ii) मुस्लिम तलाकशुदा महिला :— ऐसी अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला जिसे पति द्वारा तलाक दे दिया गया हो तथा उनके जीवन-यापन की कोई ठोस व्यवस्था न हो ऐसी महिला इस योजनान्तर्गत तलाकशुदा समझी जाएगी।

(3) **आवेदन हेतु अनिवार्य दस्तावेज** :-आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्न करने होंगे।

(क) **घोषणा पत्र** :- आवेदिका द्वारा स्थानीय दो गवाहों, जो करीबी रिश्ते में न हों, के समक्ष किया गया इस आशय का घोषणा-पत्र जिसमें गवाहों का नाम, पता एवं मोबाईल नं० स्पष्ट रूप से अंकित हो।

(ख) **अनुशंसा पत्र/प्रमाण पत्र** :- परित्यक्ता/तलाकशुदा आवेदिका द्वारा निम्न में से किसी एक के द्वारा निर्गत किया गया परित्यक्ता/तलाकशुदा होने के आशय का अनुशंसा पत्र अथवा प्रमाण पत्र।

i. **जनप्रतिनिधि** :- मुखिया/सरपंच/नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत से संबंधित वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि/प्रखंड प्रमुख/पंचायत समिति के सदस्य/विधान मंडल के सदस्य अथवा सांसद।

ii. **न्यायालय/सरकारी संस्था/कार्यालय/पदाधिकारी** :- परिवार न्यायालय/ प्रखंड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/ अनुदानित मदरसा के हेड मोदरिस/ सरकारी स्कूल एवं कॉलेज के प्रधानाध्यापक/राज्य अथवा केन्द्र सरकार के राजपत्रित पदाधिकारी।

iii. राज्य के जिला मुख्यालयों में अवस्थित मुस्लिम समुदाय की मानक/निबंधित संस्थान, जिला औकाफ कमिटी के सचिव, निबंधित वक्फ के मोतवल्ली।

(ग) **आयु प्रमाण-पत्र** :- आवेदन देने वाली महिलाओं की आयु 18 से 50 वर्ष की होगी। आयु प्रमाण पत्र के रूप में जन्म प्रमाण पत्र, मैट्रिक अथवा समकक्ष का प्रमाण पत्र जिसमें जन्म-तिथि अंकित हो/मतदाता प्रमाण पत्र/आधार कार्ड/पासपोर्ट/कार्यपालक दण्डाधिकारी से निर्गत शपथ-पत्र।

(घ) **आय प्रमाण-पत्र** : मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाएँ जिनकी वार्षिक आय सभी स्रोतों से 4,00,000 /-(चार लाख) रुपये से कम हो। प्रमाण-पत्र अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत हो।

(च) पति के मानसिक विकलांगता के मामलों में जिला के सिविल सर्जन द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र।

(छ) आवेदन पत्र में यथा स्थान पर अद्यतन पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो जो स्वयं अभिप्रमाणित हो, चिपकाना आवश्यक होगा।

(4) **योजना का क्रियान्वयन :-** यह योजना अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के द्वारा क्रियान्वित की जायेगी। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय द्वारा समाचार पत्रों में इस योजना के आवेदन हेतु विज्ञापन प्रकाशित कराये जायेंगे। जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के द्वारा प्राप्त आवेदनों एवं अनुलग्नकों की जाँच विहित प्रक्रियानुसार सुनिश्चित की जायेगी। योग्य लाभुकों के चयन एवं योजना के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला स्तर पर निम्न प्रकार से जिला चयन समिति गठित की जाती है :-

1. उप विकास आयुक्त : अध्यक्ष
2. जिला कल्याण पदाधिकारी /
जिला पदाधिकारी द्वारा नामित
एक अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी : सदस्य
3. जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी : सदस्य-सचिव

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी चयनित लाभुको की सूची अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, पटना को उपलब्ध करायेंगे। निदेशालय सूची के अनुसार अनुदान की राशि लाभुकों के बैंक खाते में अंतरित करेगा।

(5) **अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला परित्यक्ता/तलाकशुदा की सत्यता की जाँच :-** मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा से संबंधित जाँच एक महीने में जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी के माध्यम से करायी जाएगी।

कुल आवेदनों में से कम से कम 10% आवेदनों की जाँच जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी अपने स्तर से करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करेंगे।

(6) **अन्य पात्रता का मापदण्ड :-**

(i) बेवा/मुस्मात महिला इस योजना की पात्र नहीं होंगी।

(ii) इस योजना का लाभ जीवन काल में केवल एक बार ही मिलेगा। इसके लिए लाभार्थी द्वारा आधार संख्या दिया जाना अनिवार्य होगा।

(7) अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय द्वारा इस योजना में उपलब्ध कराई गई राशि का 3 प्रतिशत तक व्यय प्रचार-प्रसार, संविदा सेवा, विज्ञापन प्रकाशन आदि प्रशासनिक मद में किया जायेगा ।

(8) मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाएँ विहित प्रपत्र में अपना आवेदन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करेंगी ।

(9) जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी आवेदनों की प्रविष्टि एक पंजी में कर लेंगे जिसका प्रारूप निम्न प्रकार से होगा :—

क्र.	आवेदिका का नाम	उम्र	पिता/माता का नाम	आवेदिका का पता	परित्यक्ता अथवा तलाकशुदा	अनुशंसा / प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी/ संस्था का नाम	स्वघोषणा पत्र/ दिनांक	आधार सं०	मोबाईल न०	बैंक का नाम	खाता संख्या (स्वयं का)	बैंक ब्रांच का IFSC कोड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(10) आवेदन पत्रों के साथ आवेदिका को स्वयं का बैंक खाता संख्या तथा पासबुक की छायाप्रति (आई० एफ० एस० सी० कोड के साथ) संलग्न करना आवश्यक होगा ।

(11) एन०आई०एफ०टी०/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से लाभुकों के बैंक खाता में राशि अंतरित की जाएगी ।

(12) इस योजना का लाभ संकल्प की निर्गत तिथि से पूर्व से लंबित आवेदनकर्ताओं जिनको अनुदान-राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है, को भी प्राप्त होगा ।

(13) लाभुकों का नाम एवं पता विभागीय वेबसाइट एवं उर्दू/हिन्दी के एक दैनिक समाचारपत्र में प्रकाशित किया जायेगा एवं उन्हें SMS के माध्यम से सूचित किया जाएगा ।

आदेश:—आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र में सर्वसाधारण को सूचना के लिए प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी विभागों / विभागाध्यक्षों को सूचनार्थ भेजी जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
सरकार के विशेष सचिव—सह— निदेशक
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना ।



बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय
4 ब्लॉक, पुराना सचिवालय, बिहार, पटना



मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना

आवेदन पत्र

आवेदन क्रमांक (कार्यालय द्वारा भरा जाएगा).....

स्वप्रमाणित
संगीन फोटो

1. आवेदिका का नाम (साफ अक्षरों में)
मोबाईल सं०
2. पता: ग्राम/मोहल्ला/वार्ड:-.....
पो०....., थाना..... प्रखण्ड.....
जिला....., पिन कोड.....
3. परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला की जिस व्यक्ति से शादी हुई थी उसका नाम एवं पता/अपंगता के कारण परित्यक्ता महिला के पति का नाम एवं पता.....
(यदि पति के पूर्ण मानसिक अपंगता के कारण महिला परित्यक्ता है तो इस आशय का प्रमाण पत्र संबंधित जिला के सिविल सर्जन से निर्गत संलग्न करें)।.....
4. परित्यक्ता/तलाकशुदा के पिता/माता नाम एवं पता.....
5. जन्म तिथि..... 6. परित्यक्ता/तलाकशुदा होने की तिथि.....
7. आयु आवेदन की तिथि से..... वर्ष..... महिना.....दिन
8. परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला की बैंक खाता विवरणी :- बैंक का नाम.....
खाता संख्या (स्वयं का)आई०एफ०एस०सी०संख्या.....
9. आधार संख्या..... 10. वार्षिक आय:-.....

: स्व-घोषणा :

मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा ऊपर दी गई सभी जानकारी सही है। मैंने आज तक दूसरी शादी नहीं की है। इस योजना अन्तर्गत मुझे पूर्व में राशि प्राप्त नहीं हुई है।

1. पहले गवाह का नाम (जो सगा रिश्तेदार न हो).....
पता.....मोबाईल नं०.....
2. दूसरे गवाह का नाम (जो सगा रिश्तेदार न हो)
पता.....मोबाईल नं०.....
स्थान..... दिनांक.....

(आवेदिका का हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान)

(अंगूठा निशान की स्थिति में, प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले आधिकारी/जनप्रतिनिधि, द्वारा अभिप्रमाणित होगा)

आवेदन प्राप्ति रसीद

(कार्यालय द्वारा भरा जाएगा)

आवेदन क्रमांक.....नाम.....

पिता का नाम.....पता :-.....

मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु आवेदन प्राप्त किया।

तिथि :-.....

स्थान :-.....

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम)

परित्यक्ता/तलाकशुदा प्रमाण पत्र/अनुशंसा प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती

पिता.....

पता:- ग्राम/मुहल्लापो0.....

जिला..... की शादी दिनांक-.....

को हुई थी। वर्तमान में आवेदिका श्रीमती.....

परित्यक्ता/तलाकशुदा है एवं इनके जीवन यापन की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है।

हस्ताक्षर

(निर्गत करने वाले का नाम, पदनाम एवं मुहर)

स्थान

दिनांक.....

अनुलग्नक:-

(क) पासबुक की प्रमाणित छायाप्रति जिसमें आवेदिका का नाम, खाता संख्या, एवं IFSC Code साफ साफ अंकित हो।

(ख) आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।

(ग) आय प्रमाण की मूल प्रति (अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत)

(घ) आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र/मैट्रिक अथवा समकक्ष का सर्टिफिकेट/मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/कार्यपालक दण्डाधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र में से कोई एक)

(च) परित्यक्ता/तलाकशुदा होने का प्रमाण पत्र/अनुशंसा पत्र।

(प्रमाण पत्र/अनुशंसा पत्र निम्न में किसी एक से प्राप्त किया जा सकता है:-

(i) जनप्रतिनिधि:- संबंधित मुखिया/सरपंच/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत के संबंधित वार्ड के निर्वाचित प्रतिनिधि/प्रखण्ड प्रमुख/पंचायत समिति के सदस्य/विधान मंडल के सदस्य/सांसद (ii) न्यायालय, सरकारी संस्था, कार्यालय के पदाधिकारी:- परिवार न्यायालय/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ अंचलाधिकारी/ जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी/अनुदानित मदरसा के हेड मोदरिस/ सरकारी स्कूल एवं कॉलेज के प्रधानध्यापक/राज्य अथवा केन्द्र सरकार के राजपतित्र पदाधिकारी (iii) राज्य के जिला मुख्यालयों में अवस्थित मुस्लिम समुदाय की मानक/ निबंधित संस्थान/जिला औकाफ कमिटी के सचिव/निबंधित वक्फ के मोतवल्ली)

नोट :- आवेदन विहित प्रपत्र में देना होगा। परित्यक्ता/तलाकशुदा अनुशंसा प्रमाण पत्र का नमूना संबंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय से अथवा www.minoritywelfare.bih.nic.in वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है। टॉल फ्री फोन न0-18003456123

سیریل نمبر	درخواست نام	عمر	والد/والدہ درخواست کا نام	ترک شدہ یا طلاق شدہ	شفاسی خطرہ جمع کرنے والے آفیسر / ادارہ کا نام	خود اعلانی خط تاریخ	آدھار نمبر	موبائل نمبر	بینک کا نام	خود کا کھاتہ نمبر	بینک برانچ IFSC کوڈ
۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲
۱۳											

۱۰۔ درخواست کے ساتھ درخواست دہندہ خود کا بینک کھاتہ نمبر اور پاس بک کی فوٹو کاپی (IFSC) کوڈ کے ساتھ منسلک کرنا ضروری ہوگا۔

۱۱۔ NIFT/RTGS کے ذریعہ سے مستفیدوں کو بینک کھاتہ میں رقم منتقل کی جائے گی۔

۱۲۔ اس منصوبہ کا فائدہ قرار داد کی جاری کردہ تاریخ سے پہلے سے موصول ہونے والی درخواست دہندہ جن کو گرانٹ رقم کی ادائیگی نہیں کیا جاسکا ہے، کو بھی حاصل ہوگا۔

۱۳۔ مستفیدوں کا نام و پتہ محکمہ جاتی ویب سائٹ وارڈور ہندی کے ایک روزنامہ اخبار میں شائع کیا جائے گا اور انہیں SMS کے ذریعہ سے بھی اطلاع دی جائے گی۔

حکم نامہ:- حکم دیا جاتا ہے کہ اسے بہار گزٹ کے عام لوگوں کو اطلاع دینے کے لئے اشاعت کیا جائے اور اس کی کاپی سبھی محکموں/محکمہ کے ہیڈ کو اطلاع بھیجی جائے۔

گورنر بہار کے حکم سے

اسپیشل سیکریٹری-کم-ڈائریکٹر

محکمہ اقلیتی فلاح،

بہار، پٹنہ

ایک دیگر ضلع سطحی آفیسر

ضلع اقلیتی فلاح آفیسر - ممبر سیکریٹری

ضلع اقلیتی فلاح آفیسر انتخاب کردہ مستفیدوں کی فہرست ڈائریکٹوریٹ اقلیتی فلاح، پٹنہ کو دستیاب کرائیں گے۔ ڈائریکٹوریٹ فہرست کے مطابق گرانٹ کی رقم مستفیدوں کے بینک کھاتہ میں منتقل کرے گا۔

۵. اقلیتی مسلم خاتون ترک شدہ/طلاق شدہ کی اصلیت کی جانچ :-

مسلم ترک شدہ/طلاق شدہ سے متعلق جانچ ایک مہینے میں ضلع آفیسر کے ذریعہ متعلقہ بلاک کے بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر/سرکل افسر کے ذریعہ سے کرائی جائیگی۔ کل درخواستوں میں سے کم سے کم 10 فیصد درخواستوں کی جانچ ضلع اقلیتی فلاح آفیسر اپنے سطح سے کریں گے اور اس مطلب کا سند درخواست کے ساتھ منسلک کریں گے۔

۶. دیگر اہلیت کا پیمانہ :-

(i) بیوہ/مسماة خواتین اس منصوبہ کے اہل نہیں ہوگی۔

(ii) اس منصوبہ کا فائدہ زندگی میں صرف ایک بار ہی ملے گا۔ اس کے لئے مستفیدوں کے ذریعہ آدھار نمبر دیا جانا لازمی ہوگا۔

۷. ڈائریکٹوریٹ اقلیتی فلاح کے ذریعہ اس منصوبہ میں دستیاب کرائی گئی رقم کا 3 فیصد تک خرچ نشرواشاعت، کنٹریکٹ سروس، اشتہار و اشاعت وغیرہ انتظامیہ مد سے کیا جائے گا۔

۸. مسلم ترک شدہ/طلاق شدہ خواتین متعلقہ پروفورما میں اپنا درخواست ضلع اقلیتی فلاح آفیسر کے دفتر میں جمع کریں گی۔

۹. ضلع اقلیتی فلاح آفیسر درخواستوں کی انٹری ایک رجسٹر میں کر لیں گے جس کا پروفورما مندرجہ ذیل طرح سے ہوگا:-

ایک کے ذریعہ جاری کیا گیا ترک شدہ طلاق شدہ ہونے کے مطلب کا شفا رسی خط اور سند۔

(i) عوامی نمائندے۔ کھیا سر پنچ / نگر نگم، نگر پریشد، نگر پنچایت سے متعلق وارڈ کے منتخب

نمائندہ / بلاک چیف / پنچایت کمیٹی کے ممبر / ودھان منڈل کے ممبر یا ممبر پارلیا منٹ۔

(ii) عدلیہ سرکاری ادارے / دفتر آفیسر:- فیملی کورٹ / بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر / سرکل آفیسر / ضلع

اقلیتی فلاح آفیسر / سرکاری منظور شدہ مدرسے کے ہیڈ مدرس / حکومتی اسکول اور کالج کے پرنسپل / ریاستی و مرکزی حکومت کے گزٹیڈ آفیسر۔

(iii) ریاست کے ضلع ہیڈ کوارٹر میں مقیم مسلم طبقے کے طلاق شدہ رجسٹرڈ ادارے / ضلع اوقاف

کمیٹی کے سیکریٹری / رجسٹرڈ وقف کے متولی۔

(ج) عمر کا سند:- درخواست دینے والی خواتین کی عمر 18 سے 50 سال کی ہوگی۔ عمر کی سند کی

شکل میں برتھ سرٹیفکیٹ، میٹرک و مساوی سرٹیفکیٹ کا سند جس میں برتھ سرٹیفکیٹ لکھا ہو / ووٹر

آئی ڈی / آدھار کارڈ / پاسپورٹ / ایکز کیو ٹیو مجسٹریٹ سے جاری الینی ڈیوٹ۔

(د) آمدنی کا سند:- مسلم ترک شدہ طلاق شدہ خواتین جن کی سالانہ آمدنی سبھی ذریعے سے

4,00,000/- (چار لاکھ) روپے سے کم ہو سندی او۔ کے ذریعہ جاری کردہ ہو۔

(ه) شوہر کے دماغی عدم توازن کے معاملے میں ضلع کے سول سرجن کے ذریعہ جاری سرٹیفکیٹ۔

(و) درخواست میں نشان دہ جگہ پر موجود پاسپورٹ سائز کا دو رنگین فوٹو خود سے تصدیق شدہ ہو، چکانہ ضروری ہوگا۔

۴. منصوبہ کا نفاذ:- یہ منصوبہ ڈائریکٹوریٹ اقلیتی فلاح کے ذریعہ عمل درآمد کی جائے گی۔

ڈائریکٹوریٹ اقلیتی فلاح کے ذریعہ اخباروں میں اس منصوبہ کے درخواست کے لئے اشتہار

شائع کرائے جائیں گے۔ ضلع اقلیتی فلاح آفیسر کے ذریعہ حاصل درخواستوں و منسلکوں کی

جانچ طے شدہ ضوابط کے مطابق طے کی جائے گی۔ اہل مستفیدوں کا انتخاب و منصوبہ کے با اثر

مشاہدہ کے لئے ضلع سطح پر مندرجہ ذیل طریقہ سے ضلع انتخاب کمیٹی تشکیل کی جاتی ہے:-

ڈپٹی ڈیولپمنٹ کمشنر - صدر

ضلع فلاح آفیسر / ضلع مجسٹریٹ کے ذریعہ نامزد - ممبر

اقلیتی مسلم ترک شدہ/طلاق شدہ خواتین کی امداد اسکیم سے متعلق گائیڈ لائن

۱. اقلیتی مسلم ترک شدہ/طلاق شدہ خواتین کے لئے امدادی اسکیم :-
ریاستی حکومت کے ذریعہ اقلیتی مسلم ترک شدہ/طلاق شدہ خواتین کی اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کے غرض سے انہیں مالی مدد فراہم کر انہیں خود کفیل بنانے کے لئے یہ اسکیم مالی سال 2006-07 سے چلائی جا رہی ہے۔ اس اسکیم کے تحت ہر ایک ترک شدہ/طلاق شدہ خواتین کو ایک مشمت 10 ہزار روپے دیا جاتا رہا ہے، جسے مالی سال 2017-18 سے بڑھا کر 25 ہزار روپے کیا گیا ہے۔
۲. ترک شدہ/طلاق شدہ کی تعریف
(i) مسلم ترک شدہ خواتین۔ ایسی اقلیتی مسلم خواتین جس کی شادی ہو چکی ہو لیکن ان کے شوہر کے ذریعہ دو سالوں یا اس سے زیادہ مدت سے چھوڑ دیا گیا ہو اور ان کے گزارے کا کوئی انتظام نہیں کیا ہو، اور پوری دماغی عدم توازن کی وجہ کر شوہر اپنے خاندان کا کفالت کرنے میں اہل نہ ہو، ایسی خاتون کو منصوبہ کے تحت ترک شدہ خاتون سمجھا جائے گا۔
(ii) مسلم طلاق شدہ خواتین۔ ایسی اقلیتی مسلم خواتین جسے شوہر کے ذریعہ طلاق دے دیا گیا ہو اور ان کے گزارے کا کوئی ٹھوس انتظام نہ ہو، ایسی خاتون کو اس منصوبہ کے تحت طلاق شدہ خواتین سمجھا جائے گا۔
۳. درخواست کے لئے ضروری دستاویز۔ درخواست کے ساتھ مندرجہ ذیل پر فوراً منسلک کرنے ہوں گے:-
(الف) اعلانی خط:- درخواست دہندہ کے ذریعہ مقامی دو گواہوں، جو قریبی رشتہ دار نہ ہو، کے مابین کیا گیا اس مطلب کا اعلانی خط جس میں گواہوں کا نام، پتہ اور موبائل نمبر واضح طور پر لکھا ہوا ہو۔
(ب) سفارشی خط/سند:- ترک شدہ/طلاق شدہ درخواست دہندہ کے ذریعہ ذیل میں سے کسی